कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : व–15 (1)/कम्युनिटी पुलिसिंग/2019/ 1087 दिनांक : 26/7/2024

प्रमुख शासन सचिव,
कार्मिक विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण) जोधपुर महानगर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2024.

प्रसंग :– श्री राहुल बाहरठ, आई.पी.एस. व अन्य पर अविलम्ब कार्यवाही व पदक, विशेष पदौन्नति, अन्य परिलाम तत्काल वापिस लिये जाने बाबत्।

मार्फत :– अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि न्याय का सिद्धांत निष्पक्षता पर आधारित होता है। विदित है, उपरोक्त प्रकरण में श्री राहुल बारहठ, आई.पी.एस. व अन्य माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप जैसे संगीन मामले में आरोपी बनाये गयें है। वर्ष 2007 बैच के आई.पी.एस. श्री राहुल बारहठ जो तत्कालीन जिला चुरू पुलिस अधीक्षक के पद पर दिनांक 24.06.2015 से लेकर 23.07.2018 तक लगभग 3 वर्ष से ज्यादा समय पदस्थापित रहे है। इनको ना सिर्फ विशेष पदौन्नति दी गई वरन स्पेशल अवार्ड मय नगद व चुरू जिला में 3 वर्ष का कार्यकाल दिया गया। इस अधिकारी को लगातार फील्ड पोस्टिंग दी गई वरन वर्ष 2021 में प्रतिनियुक्ति भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में बी.एस.एफ. द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया **(संलग्न– पृष्ठ 16)**। हत्या के आरोपी अधिकारी को इतने परिलाभ व विशेष दर्जा प्रदान किया गया जो गंभीर जांच का विषय है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त अधिकारी को अविलम्ब पदनावत करने के साथ, मुंबई प्रतिनियुक्ति से तत्काल वापस बुलाया जायें व पूर्व में प्रदान कियें गयें पदक व नगद लाभ जब्त कियें जाये।

यह वो समय है जब अद्योहस्ताक्षरकर्ता दिल्ली से जयपुर तत्कालीन राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक, स्टेट क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो में पदस्थापित किया व अद्योहस्ताक्षकर्ता दिनांक 19.11.2015 से दिनांक 16.01.2019 लगभग 3 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापित रहा **(संलग्न–पृष्ठ 20)**।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हत्या के आरोपी अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग, 3 वर्षों से अधिक एक जिले में रखा गया और पदौन्नति समेत तमाम विशेष लाभ प्रदान कियें गये जो कि न्याय के सिद्धांत की अवहेलना व दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 वर्ष पुलिस अधीक्षक स्टेट क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो में पदस्थापन के दौरान प्रदेश में क्राईम व क्राईम करने वाले सहयोगी

अधिकारियों की भूमिका को भी काफी करीब से देखने का अवसर मिला, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तत्कालीन समय मात्र 2 वर्ष में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को राज्य सरकार द्वारा अवैध व असंगत रूप से 7 चार्जशीट प्रदान कर दी गई।

अतः महोदय दोनों प्रकरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ हत्या के आरोपी आई.पी.एस. अधिकारी को तमाम परिलाभ प्रदान किये गये वहाँ अद्योहस्ताक्षरकर्ता को ना सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि 3 प्रमोशनों के साथ तमाम अन्य परिलाभ रोक लियें गये जो आदिनांक विचाराधीन है। कुछ प्रकरणों में माननीय सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली हाईकोर्ट व केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली द्वारा अद्योहस्ताक्षकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किये जाने के बावजुद अनावश्यक रूप से प्रमोशन व अन्य परिलाभ रोके गये है जो **"संविधान की मूल भावना"** का सरासर उल्लघंन है।

इस पत्र के माध्यम से निवेदन है कि आगामी 15 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को समस्त परिलाभ प्रदान किय जाये व उपरोक्त आरोपित अधिकारी को अविलम्ब माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रसंज्ञान में अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार (कुल पृष्ठ 20)।

1. माननीय न्यायलय की आदेश प्रति।
2. मीडिया में प्रकाशित खबर।
3. श्री राहुल बारहठ व अद्योहस्ताक्षरकर्ता की सर्विस प्रोफाइल।

भवदीय,

(पंकज चौधरी)
आई.पी.एस.
पुलिस अधीक्षक,
कम्यूनिटी पुलिसिंग,
जयपुर, राजस्थान।
24/07/24

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है

1. माननीय गृह राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
कम्यूनिटी पुलिसिंग,
जयपुर, राजस्थान।
26/07/24